

भूकम्परोधी भवन होने का प्रमाण पत्र

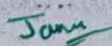
प्रमाणित किया जाता है कि डी. डी. पब्लिक स्कूल

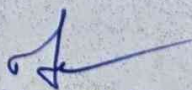
कादीपुर, बासुदेवपुर गाजीपुर के सभी कक्ष नेशनल बिल्डिंग

कोड के प्राविधानित सुरक्षा मानक (भूकम्परोधी) के अनुसार निर्मित है

तथा ताड़ित चालक भी भवन पर स्थित है।

 17.03.20
अकर अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्ता संघ
कासिमाबाद-गाजीपुर


Principal
DD Public School
Kadipur, Basdeopur, Ghazipur


MANAGER
DD Public School
Kadipur, Basdeopur, Ghazipur

पत्रांक 2308/1CB दिनांक 17-03-2020 का सलग नक

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 विद्यालय (कक्षा-6से 12) हेतु चेकलिस्ट

क्र. स.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हां
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/संक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	नाही
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊंचा है?	नाही
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (1800 वर्गमी0) है? Total Area	6346.60 मी0
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी0 खुला स्थान है?	हां
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक से पार्किंग तो नहीं है?	हां/नाही
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हां
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी0 है?	हां
9	क्या भवन की छत R.C.C की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हां
10	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेंट मसाले से बनी है?	हां
11	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक है?	नाही
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (ठंडे क्षेत्रों में 3.0मी0) है?	हां
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी0 एवं ऊँचाई 4.5 मी0 है?	हां/नाही
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हां
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हां
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (ऊँचाई 1.0मी0 ऊँचाई 2.0मी0) है?	हां

Principal
DD Public School
Kadipur, Basdeopur, Ghaziur

MANAGER
DD Public School
Kadipur, Basdeopur, Ghaziur

17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० ट्रेड 300 मिमी० तथा साइजर 150 मिमी० है?	हाँ
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्पिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हाँ
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First aid Box) स्थापित है?	हाँ

8/4/23
 अवर अभियन्ता
 ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा
 कासिमाबाद, गाजीपुर